

कम की तामील  
में जारी हुए

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अंतिम डिक्री : :  
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी - श्री रतन लाल रेगर  
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 108/2018 राजस्व वाद

## उनवान

1 कर्मवीर मेहता पिता भंवरलाल मेहता नि0 शाम की सब्जीमण्डी , भोपालगंज , भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

## बनाम

1. संजय पिता जमनालाल जाट नि0 गणेशपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मेमा पिता जमनालाल जाट नि0 गणेशपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. लोकेश ना.बा.व.वि. माता कूकी पत्नि जमनालाल जाट नि0 गणेशपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. कूकी पत्नि जमनालाल जाट नि0 गणेशपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. सांवरमल पिता रामचन्द्र जाट नि0 गणेशपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. बंशीलाल पिता रामचन्द्र जाट नि0 गणेशपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. विमला पुत्री रामचन्द्र जाट नि0 गणेशपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. लीला पुत्री रामचन्द्र जाट नि0 गणेशपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. रामू पुत्री रामचन्द्र जाट नि0 गणेशपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. गौरी पत्नि रामचन्द्र जाट नि0 गणेशपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

-----वादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात  
उपस्थित - प्रतिवादी गण


1. श्री मुरारी जोशी .....वादी अधिवक्ता
2. परोकार सरकार..... विपक्षी कम 11

दिनांक- 17.07.2018

वादी का वादपत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण से अन्तर्गत धारा 53 , 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य इस प्रकार मंजूर किया जाकर वाद में डिक्री इस आशय की जाती है कि ग्राम गणेशपुरा पटवार खेडलिया तहसील बनेड़ा की वर्तमान जमाबन्दी सम्पत् 2072-75 के खातोनी संख्या 44 कुल किता 01 रकबा 05-04 बीघा भूमि का प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजियात मे वादी का हक हिस्सा प्रथक व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 को शामलात यथावत रखते हुए विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है । विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है -

1. कर्मवीर मेहता आत्मज भंवरलाल मेहता सा. नई शाम की सब्जीमण्डी , भोपालगंज भीलवाड़ा खातेदार

आ0न0	रकबा	लगान
401/1	2-12	2.08
कुल 1	रकबा 2-12	2.08


  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

2. संजय लोकेश मेमा पिता जमनालाल , लोकेश ना.बा.व.बि. माता कूकी , कूकी पत्नि जमनालाल , सांवरलाल बंशीलाल पिता रामचन्द्र विमला लीला रामू पुत्रिया रामचन्द्र , गौरी पत्नि रामचन्द्र जाट सा0देह खातेदार


आ0न0	रकबा	लगान
401	02-12	2.08
कुल 1	रकबा 2-12	2.08

उपरोक्तानुसार भूमि में वादीया व प्रतिवादी क्रम 01 से 10 के मध्य क्रम संख्या 1 व 2 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिकी प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 17.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

  
(रतन लाल रेगर)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- डिकी की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रेषित हो।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड जिला अधिकारी  
बनेडा (भीलवाड़ा)